

मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

वी.बी.आर. मेनन और अन्य

(सिविल अपील संख्या 421/2022)

14 मार्च, 2023

[न्या. सुधांशु धूलिया और न्या. जे.बी. पारदीवाला]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 - धाराएं 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (1) (ख), 36 - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986- धारा, 2(क)3 (3), 5, 5क-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (व्यवहार और प्रक्रियाएं) नियम, 2011 नियम 24-जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974- धारा 25 - वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 - धारा 21- एन.जी.टी. की मुख्य बेंच ने 2016 के मूल आवेदन सं. 147 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी ईंधन स्टेशनों, वितरण केंद्रों, टर्मिनलों, रेलवे लोडिंग/अनलोडिंग सुविधाओं और हवाई अड्डों पर चरण- I और चरण- II वाष्प पुनर्प्राप्ति उपकरण (वी. आर. डी.) स्थापित करने के निर्देश जारी किए-इसके बाद, प्रत्यर्थी सं.2 - चेन्नई के एक निवासी ने तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) द्वारा पेट्रोलियम आउटलेट्स में वाष्प रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) की गैर-स्थापना के संबंध में मुद्दा उठाते हुए 2020 (एस.जेड.) का मूल आवेदन सं.138 दायर किया- एन.जी.टी., चेन्नई ने अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) के साथ-साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया कि वे नए खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट्स के साथ-साथ मौजूदा खुदरा आउटलेट्स के लिए स्थापना की सहमति (सी.टी.ई.) और संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के लिए निर्देश जारी करें- उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दा; क्या एन.जी.टी. के पास सी.पी.सी.बी. को यह निर्देश देने का अधिकार है कि उसे अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश भर के सभी पेट्रोलियम खुदरा दुकानों के लिए सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. उत्तर प्राप्त करना अनिवार्य बनाना चाहिए- अभिनिर्धारित किया : सभी अपीलार्थी ने अपनी साइटों और खुदरा दुकानों पर वीआरएस और वी.आर.डी. स्थापित किया है - प्रत्यर्थी

नंबर 2 ने सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. को अनिवार्य बनाने के लिए एन.जी.टी., चेन्नई के समक्ष प्रार्थना नहीं की थी - तथ्य यह है कि सी.पी.सी.बी. ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से वी.आर.एस. की स्थापना के लिए समय-समय पर परिपत्र/दिशा-निर्देश जारी किए गए - वी.आर.एस. की स्थापना के संबंध में एन.जी.टी., चेन्नई द्वारा जारी किए गए निर्देशों में गड़बड़ी की संभावना नहीं है - सी.पी.सी.बी. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि इन निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए - एन.जी.टी. ने अपने आदेश में कहा था कि तेल उद्योग को "हरित श्रेणी" के रूप में जाना जाता है और सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. की आवश्यकता नहीं है - एन.जी.टी. की ओर से आशंका है कि वी.आर.एस. की स्थापना की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा सख्ती से निगरानी नहीं की जा सकती है। , एन.जी.टी. ने सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के निर्देश जारी किए - हालांकि, सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करना अनिवार्य बनाना आवश्यक नहीं है, तदनुसार इस संबंध में निर्देश अलग रखे गए हैं - इसके बजाय, सी.पी.सी.बी. ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.01.2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। - एन.जी.टी. के पास सी.पी.सी.बी. को यह निर्देश देने की शक्ति है कि उसे पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और यह उसके अधिकार क्षेत्र में है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. यह देखा गया है कि सभी अपीलार्थियों ने अपनी साइटों और खुदरा दुकानों पर वी.आर.एस. और वी.आर.डी. स्थापित किए हैं। यह भी देखा गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल आवेदक) ने एन.जी.टी., चेन्नई के समक्ष सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. को अनिवार्य बनाने के लिए अनुरोध नहीं किया था। 2020 (द.अं.) के मू.आ. सं. 138 में प्रार्थना केवल तमिलनाडु राज्य तक ही सीमित थी। हालाँकि, एन.जी.टी., चेन्नई ने अपने विवादित आदेश द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सभी पेट्रोलियम आर.ओ. को वी.आर.एस. तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है, जिसका कारोबार 300 कि.ली./महीने से अधिक है। यह न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि सी.पी.सी.बी. ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से समय-समय पर

वी.आर.एस. (जिसे वाष्प पुनर्प्राप्ति उपकरण परिपत्र के रूप में भी जाना जाता है) की स्थापना के लिए परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह न्यायालय वी. आर.एस. की स्थापना के संबंध में एन.जी.टी., चेन्नई द्वारा जारी किए गए विवादित निर्देशों को बाधित करने के लिए इच्छुक नहीं है। सी.पी.सी.बी. यह सुनिश्चित करेगा कि इन निर्देशों का ईमानदारी से अनुसरण किया जाए और उनका पालन किया जाए। [अनुच्छेद 45] [240-च-ज; 241-क]

2. ध्यान देने वाली बात यह है कि सी.पी.सी.बी. द्वारा दिनांक 30.04.2020 और 07.03.2016 को जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों में ऑटोमोबाइल ईंधन आउटलेट्स को "हरित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें सहमति प्रबंधन से छूट दी जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि उचित विचार और विचार-विमर्श के बाद ही सी.पी.सी.बी. ने उक्त निर्देश जारी किए। एन.जी.टी. ने स्वयं अपने विवादित आदेश के अनुच्छेद 66 में उल्लेख किया है कि तेल उद्योग को "हरित श्रेणी" के रूप में जाना जाता है और सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एन.जी.टी. की ओर से इस आशंका के कारण कि वीआरएस की स्थापना की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा सख्ती से निगरानी नहीं की जा सकती है, एन.जी.टी. ने सी.पी.सी.बी. और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को एक परिपत्र जारी करने हेतु नए पेट्रोलियम आउटलेट स्थापित करने के लिए एक शर्त के रूप में सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के निर्देश जारी किए। न्यायालय का मानना है कि सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करना अनिवार्य बनाना आवश्यक नहीं है। सी.पी.सी.बी. पर यह सुनिश्चित करने के लिए भी दबाव डाला गया है कि ऊपर उल्लिखित उसके दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए और एक बार दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के बाद, आरओ को शुरू/संचालित करने के लिए सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करने के लिए कोई दिशानिर्देश आवश्यक नहीं है। [अनुच्छेद 46][241-ब-घ]

3. ऐसी परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास सी.पी.सी.बी. को यह निर्देश देने की शक्ति है कि उसे पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य हेतु अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग

करना चाहिए, यह न्यायालय एन.जी.टी., चेन्नई द्वारा जारी किए गए विवादित निर्देशों को संशोधित करने के लिए इच्छुक है, जैसा कि अनुच्छेद 69 (iii) और 69 (iv) में निहित है, और भविष्य में स्थापित होने वाले नए पेट्रोलियम आउटलेटों के लिए स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के संबंध में और यहां तक कि जो स्थापना की तैयारी के तहत हैं और निर्देश दिए गए हैं कि सभी मौजूदा खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट्स को उनके टर्नओवर के बावजूद मौजूदा आउटलेटों के लिए 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर संचालन हेतु सहमति प्राप्त करनी होगी। [अनुच्छेद 47] [241-च; 221-घ,च]

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय 2022 की सिविल अपील सं 2039 का निम्नलिखित शर्तों में निपटारा करता है:- (क) सी.पी.सी.बी. यह सुनिश्चित करेगा कि एफ. विभिन्न शहरों में स्थित सभी खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है और जिनका टर्नओवर 300 के.एल./महीने से अधिक है, वे अपने परिपत्र दिनांक 04.06.2021 में निर्धारित नई समय सीमा के अंदर वी.आर.एस. तंत्र स्थापित करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो सी.पी.सी.बी. यह सुनिश्चित करेगा कि विवादित आदेश के अनुच्छेद 69 (i) जी और (ii) में निहित एन.जी.टी. द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। यह सुनिश्चित करना सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कानूनी दायित्व होगा कि वीआरएस तंत्र की स्थापना के संबंध में एन.जी.टी. द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नई समय सीमा के अंदर किया जाए।

(ख) अनुच्छेद 69(iii) और (iv) में निहित एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया है। इसके बजाय, सी.पी.सी.बी. ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.01.2020 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। यदि सी.पी.सी.बी. द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.01.2020 के माध्यम से जारी किए गए किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन होता है, तो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द से जल्द कानून के अनुसार दोषी आउटलेट

के खिलाफ कार्रवाई करेगा। [अनुच्छेद 48][241-छ-ज; 242क-घ]

**ज्ञानप्रकाश @पप्पु सिंह बनाम गोल व अन्य मू.आ. सं.
86/2019; ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अंकिता सिन्हा
एससीसी ऑनलाइन एससी 897/2021-को संदर्भित
किया गया।**

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं 421/2022।

(ध.य.) के मूल आवेदन संख्या 138/2020 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दक्षिणी अंचल, चेन्नई, तमिलनाडु के दिनांक 23.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 494,1695,2039,1758 और 1912/2022

तुषार मेहता, एसजी, के.एम नटराज, एसजी, अमित आनंद तिवारी, एएजी, जय सावला, पिनाकी मिश्रा, ए सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. सुंदर रामनाथन, विवेक पांडे, सुश्री सुकन्या विश्वनाथन, सुश्री आस्था सरदाना, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सूर्य प्रकाश, अर्जुन भाटिया, बालाजी श्रीनिवासन, जसदीप सिंह ढिल्लों, राहुल गुप्ता, प्रभात चौरसिया, के.आर. शशिप्रभु, विष्णु शर्मा, तुषार भारद्वाज, प्रखर अग्रवाल, बैजनाथ पटेल, केशरी, सुश्री मंजीत चावला, श्रीमती उषा पंत कुकरेती, डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., शोभित द्विवेदी, सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री तन्वी आनंद, सौरभ मिश्रा, राकेश चंदर, निर्भय तिवारी, अभिषेक पांडे, सुश्री प्रिया कौशिक, श्रीमती इंदिरा भाकर, विनायक शर्मा, अक्षय अमृतांशु, ईशान शर्मा, अमरीश कुमार, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सूर्य प्रकाश, अर्जुन भाटिया, सुश्री अक्षता जोशी, उपस्थित पक्षकारों के वकील थे।

स्वयं प्रत्यर्थी

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्या. जे.बी. पारदीवाला

चूंकि उपरोक्त सभी अपीलों में उठाए गए मुद्दे समान हैं और चुनौती भी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दक्षिणी अंचल, चेन्नई (संक्षेप

में, "एनजीटी, चेन्नई") द्वारा पारित उसी आदेश के लिए है, उन पर समान रूप से सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. सुविधा के लिए, 2022 की सिविल अपील सं 2039 को प्रमुख मामले के रूप में माना जाता है।

3. यह अपील एक तेल विपणन कंपनी अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित रिलायंस सी.बी.पी. मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और एनजीटी, चेन्नई द्वारा 2020 (ध.य.) के मूल आवेदन संख्या 138 में पारित दिनांक 23.12.2021 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जहां विवादित आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) के साथ-साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को नए खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट्स के साथ-साथ मौजूदा खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट्स के लिए स्थापना की सहमति ("सी.टी.ई.") और संचालन की सहमति ("सी.टी.ओ.") प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के लिए निर्देश जारी करने का निर्देश देता है।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स:

4. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं. 2, चेन्नई के निवासी श्री वी मेनन ने, एन.जी.टी., चेन्नई के समक्ष तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोलियम आउटलेट्स में वाष्प रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) की गैर-स्थापना के संबंध में मुद्दा उठाते हुए 2020 की मूल आवेदन संख्या 138 (एसजेड) दायर की थी। 2020 के मूल आवेदन संख्या 138 में, आवेदक (यहां प्रत्यर्थी सं. 2) ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की:

"राहत:

क. इस आवेदन के निपटान तक, प्रत्यर्थी 5 से 9 को वाष्प रिकवरी सिस्टम, चरण 1 और 2 को अच्छी कार्यशील स्थिति में स्थापित किए बिना तमिलनाडु में किसी भी नए पेट्रोलियम खुदरा दुकानों को चालू करने और संचालित करने से रोकें और

ख. ऐसे अतिरिक्त आदेश या आदेश पारित करें जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और आवश्यक हों।

प्रार्थना

क. तमिलनाडु में किसी भी नए पेट्रोलियम खुदरा बिक्री केंद्र को खोलने और चालू करने से पहले प्रत्यर्थी तेल विपणन कंपनियों आर-5 से आर-9 को अच्छी काम करने की स्थिति में वाष्प पुनर्प्राप्ति प्रणाली, चरण 1 और 2 को स्थापित करने और संचालित करने का निर्देश दें।

ख. प्रत्यर्थी तेल विपणन कंपनियों आर-5 से आर-9 को तमिलनाडु में स्थित प्रत्येक शहर, शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस माननीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुसूची सीमा में तमिलनाडु में सभी मौजूदा पेट्रोलियम आउटलेट्स में वाष्प वसूली प्रणाली चरण 1 और 2 स्थापित करने और संचालित करने का निर्देश दें।

ग. ऐसे अतिरिक्त आदेश या आदेशों को पारित करें जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और आवश्यक हों और इस प्रकार न्याय करें।

5. एनजीटी, चेन्नई के समक्ष उपरोक्त मूल आवेदन दाखिल करने का आधार एन.जी.टी. की प्रधान पीठ द्वारा 2016 के मूल आवेदन संख्या 147 में पारित आदेश था, जिसमें एन.जी.टी. की प्रधान पीठ ने चरण - I स्थापित करने के निर्देश जारी किए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी ईंधन स्टेशनों, वितरण केंद्रों, टर्मिनलों, रेलवे लोडिंग/अनलोडिंग सुविधाओं और हवाई अड्डों पर चरण- II वाष्प रिकवरी डिवाइस (वीआरडी)। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच द्वारा 2016 के ओ.ए नंबर 147 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2018 के तहत वीआरडी की स्थापना की समय सीमा बढ़ा दी गई थी।

6. एनजीटी, चेन्नई ने 2020 (एसजेड) के मू.आ. नंबर 138 पर फैसला सुनाया और निम्नलिखित निर्देश जारी करके दिनांक 23.12.2021 के आदेश के जरिए इसका निपटान किया:

"69. परिणामस्वरूप, इस आवेदन का निपटान निम्नानुसार किया जाता है:

i. हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित हैं, उन्हें वीआरएस तंत्र स्थापित करना चाहिए, जिनका टर्नओवर 300 कि.ली./माह और उससे अधिक है, जैसा कि दिनांक 12.12.2016 के परिपत्र के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ परामर्श से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जोर दिया है। यदि किसी भी खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट ने सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर या इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तारित समय सीमा के अंदर इसे स्थापित नहीं किया था, तो सी.पी.सी.बी. को उन पेट्रोलियम आउटलेट/भंडारण डिपो के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है जिन्होंने 2016 की मू.आ. सं. 147 (आदित्य एन. प्रसाद और अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य) में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ के निर्देशानुसार पर्यावरणीय मुआवजा लगाकर इसका अनुपालन नहीं किया है

ii. जहां तक चरण 1 और चरण 2 के नए पेट्रोलियम आउटलेट्स (100 के. एल./माह से 300 कि.ली./माह) और चरण 1क (भंडारण डिपो) का संबंध है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र के उपक्रमों दोनों द्वारा सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित विस्तारित समय में स्थापित करना होगा और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उन्हें ऐसे उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने 2016 के मू.आ. संख्या 147 (आदित्य एन प्रसाद और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में निर्देशित किया था।

iii. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) के साथ-साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 के तहत निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है ताकि भविष्य में स्थापित किए जाने वाले नए पेट्रोलियम आउटलेट स्थापित करने और संचालित करने के लिए सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो स्थापना की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निर्माण शुरू नहीं कर रहे हैं, जैसा कि राज्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केरल द्वारा किया गया है और ऐसा निर्देश 3 (तीन) महीने की अवधि के अंदर जारी किया जाना चाहिए और तब तक सभी नए खुदरा पेट्रोलियम आउटलेटों को स्थापना और सहमति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाता है।

iv. हम सभी मौजूदा खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट को इसके कारोबार की परवाह किए बिना 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर मौजूद आउटलेट हेतु संचालन की सहमति प्राप्त करने का भी निर्देश देते हैं। यदि यह प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कानून के अनुसार ऐसे पेट्रोल पंपों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

v. परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों को आवेदन में अपने संबंधित लागत वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

vi. पंजीकरण को इस आदेश को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर और चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की प्रदूषण नियंत्रण समिति को भी उनकी जानकारी और निर्देश के अनुपालन के लिए भेजा गया है।”

7. एनजीटी, चेन्नई द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों से असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष है।

8. एन.जी.टी. द्वारा पारित उसी आदेश को चुनौती देने की मांग करने वाली इस न्यायालय के समक्ष अन्य तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) हैं: (1) मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2) मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड; (3) मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (4) मैसर्स नायरा एनर्जी लिमिटेड, और (5) मैसर्स शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ:

9. प्रारंभ में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वह वीआरएस/वीआरडी की स्थापना के संबंध में, विवादित आदेश के अनुच्छेद 69 (i) और 69 (ii) में निहित निर्देशों को चुनौती नहीं देना चाहता है। विद्वान वकील अपनी चुनौती को केवल अनुच्छेद 69(iii) और अनुच्छेद 69(iv) में जारी दिशा-निर्देश तक ही सीमित रखना चाहेंगे, जिसका उल्लेख उपरोक्त दिया गया है, अर्थात् स्थापना की सहमति (सी.टी.ई.) और संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) के संबंध में है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील कानून के तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है जो इस प्रकार हैं:

क. क्या एन.जी.टी. ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो विधायी कार्यों की प्रकृति में हों?

ख. क्या सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के ओ.एम.सी. और/या आर.ओ.एस. (खुदरा आउटलेट) को आर.ओ.एस. के संचालन, स्थापना और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए स्थापना और/या संचालन के लिए सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है?

ग. क्या एन.जी.टी. सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए केवल एक विनियमन तंत्र प्रदान करने के लिए अतिरिक्त अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता लागू कर सकता है?

11. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश के उत्तर में अनुच्छेद 69(iii) और 69(iv) में जारी निर्देश विधायी प्रकृति के हैं और इसलिए एन.जी.टी. के क्षेत्राधिकार से परे हैं। उनका कहना था कि एनजीटी, चेन्नई द्वारा सी.पी.सी.बी. को जारी किए गए निर्देश जिसमें आरओ के लिए सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करना अनिवार्य है, न्यायिक आदेश की आड़ में एक कानून बनाने जैसा होगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आरओ के लिए सी.टी.ई. और/या सी.टी.ओ. प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के निर्देश जारी करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, एन.जी.टी. हेतु इस तरह के निर्देश जारी करने का एकमात्र आधार उचित नियामक तंत्र सुनिश्चित करना और/या वीआरएस आदि की स्थापना के संबंध में

सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवादित निर्देश सीधे तौर पर उस उद्देश्य के विपरीत हैं जिसके साथ सी.पी.सी.बी. द्वारा उद्योगों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है। यह बताया गया कि पेट्रोलियम खुदरा दुकानें ग्रीन जोन में आती हैं और ग्रीन जोन में आने वाले किसी भी उद्योग के लिए सी.टी.ओ. और/या सी.टी.ई. प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि आरओ की स्थापना की प्रक्रिया में कई अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और इसमें काफी समय लगता है। उदाहरण के लिए, आरओ के निर्माण से पहले भी, ओएमसी को अन्य बातों के अलावा (1) पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), (2) टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर, (3) नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, (4) जिला/प्रभागीय वन अधिकारी/क्षेत्रीय वन अधिकारी, (5) राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदन, आदि। इसके अलावा, ओएमसी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट की ऐसे एनओसी में विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमोदन शामिल होता है, जैसे - अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और सुरक्षा, संबंधित नगर पालिका और/या कोई अन्य प्राधिकरण जिसे जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे। इसके बाद, आरओ के निर्माण पर, ओएमसी को अन्य बातों के साथ-साथ पीईएसओ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कानूनी माप विज्ञान विभाग श्रम विभाग और संबंधित नगर पालिका से अंतिम मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कुछ स्वीकृतियों की समय-सीमा 120 से 240 दिनों तक है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील के अनुसार, आरओ की स्थापना/संचालन के लिए सी.टी.ओ. और सी.टी.ई. प्राप्त करना अनिवार्य बनाने से बहुत कठिनाई होगी और आरओ की स्थापना में भी देरी होगी।

12. विद्वान वकील ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि सी.पी.सी.बी. ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.01.2020 के माध्यम से एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 18.01.2019 को 2019 के मू. आ.सं. 86 जिसका शीर्षक ज्ञानप्रकाश @ पप्पू सिंह बनाम भारत सरकार और

अन्य, में पारित आदेश के अनुपालन में नए पेट्रोलियम पंपों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके दिशानिर्देश काफ़ी ज्यादा हैं और उनमें एन.जी.टी. द्वारा अपने आदेश में व्यक्त की गई आशंका का ध्यान रखा गया है। एक बार जब इन दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाता है, तो उसके बाद सी.टी.ओ. और/या सी.टी.ई. प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

13. उपरोक्त उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और एनजीटी, चेन्नई द्वारा पारित विवादित आदेश के अनुच्छेद 69 (iii) और अनुच्छेद 69 (iv) में जारी किए गए निर्देशों को दरकिनार कर दिया जाए।

प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुतियाँ-एन.जी.टी के समक्ष मूल आवेदक:

14. प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल आवेदक) की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि एन.जी.टी. द्वारा विवादित निर्देश जारी करने में कोई त्रुटि, कानून की किसी भी त्रुटि के बारे में नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (संक्षेप में, 'एन.जी.टी. अधिनियम') की धारा 22 के तहत दायर अपील में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 22 के तहत अपील कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक ही सीमित है। वर्तमान अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है। उपरोक्त उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील अनुरोध करते हैं कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है, इसे खारिज कर दिया जाए।

प्रत्यर्थी सं. 1-सी. पी. सी. बी. की ओर से प्रस्तुतियाँ:

15. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि विशेषतः सी.पी.सी.बी. द्वारा दिनांक 07.01.2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी विस्तृत दिशा निर्देशों को ध्यान में

रखते हुए, एन.जी.टी. को अनुच्छेद 69(iii) और अनुच्छेद 69(iv) उत्तर में निहित निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्री मेहता के अनुसार, आरओ को सी.टी.ई. और/या सी.टी.ओ. प्राप्त करने के लिए कहने से जो हासिल करने की कोशिश की जाती है, उसे यह सुनिश्चित करके बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जा सकता है कि सभी वर्तमान आरओ और भविष्य में आने वाले आरओ सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करेंगे। सी.पी.सी.बी. ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश भर में आरओ पर कड़ी निगरानी रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है। यहां तक कि, श्री मेहता के अनुसार, सभी मौजूदा आरओ को सी.टी.ओ. प्राप्त करने के लिए कहना बहुत ही अनुचित है। श्री मेहता के अनुसार, इसके लिए बहुत अधिक कागजी काम की आवश्यकता होती है और इसमें बहुत समय लगता है।

16. श्री मेहता ने कहा कि यह अत्यधिक विवादास्पद है कि एन. जी. टी. सी. पी. सी. बी. को निर्देश दे सकता था कि उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1986') की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सी. टी. ई. और/या सी. टी. ओ. प्राप्त करना अनिवार्य बनाना चाहिए।

17. श्री मेहता ने अंतिम प्रस्तुतिकरण में कहा कि जहां तक अनुच्छेद 69 (i) और 69 (ii) उत्तर में निहित निर्देशों का संबंध है, उसका सही परिप्रेक्ष्य में पालन किया जाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका उचित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। वह प्रस्तुत करेंगे कि सी. पी. सी. बी. यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा ऊपर निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा सख्ती से पालन किया जाए और यदि किसी भी खुदरा दुकान के अंत में कोई चूक होती है, तो आवश्यक कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।

18. उपरोक्त उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, श्री मेहता अनुरोध करते हैं कि अनुच्छेद 69 (iii) और 69 (iv) में निहित निर्देशों को अलग किया जाए या उचित रूप से संशोधित किया जाए।

विश्लेषण:

19. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों को पढ़ने के बाद, एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता है वह है: (i) क्या एन.जी.टी. के पास सी.पी.सी.बी. को यह निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र है कि उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अधिनियम 1986 की धारा 5 देश भर में सभी पेट्रोलियम खुदरा दुकानों के लिए सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. उत्तर प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है?

20. इस न्यायालय ने संबंधित अपीलों अर्थात् 2022 की सिविल अपील 494 में दिनांक 07.02.2022 के आदेश के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

"ऐसा नोटिस जारी करें, जिसे छह सप्ताह में वापस किया जा सकता है।

इस बीच, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिनांक 23.12.2021 के विवादित आदेश के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि याचिकाकर्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा दिनांक 04.06.2021 द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करता है जो वाष्प जी रिकवरी डिवाइस (वी.आर.डी.) की स्थापना को पूरा करने के लिए नई समय सीमा निर्धारित करता है अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कपूर ने कहा है कि सी.पी.सी.बी. दिनांक 04.06.2021 के उक्त निर्देशों के अनुसार, वाष्प पुनर्प्राप्ति उपकरण पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। निर्दिष्ट श्रेणी में दिसंबर, 2021 तक 50 प्रतिशत खुदरा दुकानों में और शेष समय सीमा का भी पालन किया जाएगा।

21. चूंकि वर्तमान मुकदमे में संबंधित तेल विपणन कंपनियों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान वकीलों का मुख्य तर्क एन.जी.टी. के विवादित निर्देश जारी करने के अधिकार क्षेत्र के संबंध में है, इसलिए पहले एन.जी.टी. अधिनियम की पूरी योजना को समझना आवश्यक है।

एन. जी. टी. अधिनियम, 2010 की योजना:

22. एन.जी.टी. अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है:

"पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए एक अधिनियम जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करना शामिल है।

और जबकि भारत जून, 1992 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का एक पक्ष है, जिसमें भारत ने भाग लिया, राज्यों से न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही तक प्रभावी पहुंच प्रदान करने का आह्वान किया, जिसमें निवारण और उपचार और जनसंख्या और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों के लिए दायित्व और मुआवजे के संबंध में राष्ट्रीय कानून विकसित करना शामिल है।

और भारत में न्यायिक निर्णय में, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना गया है।

और क्योंकि उपरोक्त सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करना और पर्यावरण से संबंधित बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों की भागीदारी को देखते हुए एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन करना समीचीन माना जाता है।

23. एन.जी.टी. का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां धारा 14 से 20 के उत्तर में पाई जाती हैं। इन प्रावधानों पर बारीकी से नजर डालने पर पता चलेगा कि एन.जी.टी. के पास मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार हैं। एन.जी.टी. के पास मौजूद शक्तियों की श्रेणी में शामिल हैं:

- (i) उन सिविल मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति जहां पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है (धारा 14(1));
- (ii) प्रदूषण के पीड़ितों को राहत और मुआवजा देने की शक्ति (धारा 15 (1) (क); और
- (iii) क्षतिग्रस्त संपत्ति या पर्यावरण के पुनर्भुगतान का आदेश देने की शक्ति (धारा 15 (1) (ख)।

24. जिस व्यक्ति के पक्ष में एन.जी.टी. कोई पुरस्कार या आदेश पारित करता है, वह दो प्रकार के उपचार का हकदार है, यदि पुरस्कार या आदेश या एन.जी.टी. के निर्णय का अनुपालन नहीं किया जाता है। पहला, धारा 25 के तहत पुरस्कार के निष्पादन की मांग करने का अधिकार है और दूसरा, धारा 26 के तहत एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करना है।

25. धारा 29 के तहत सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रतिबंध के अलावा, एन.जी.टी. अधिनियम को धारा 33 के तहत किसी भी अन्य सी कानून पर भी प्रमुख प्रभाव प्रदान किया गया है, जो निम्नानुसार है:

"धारा 33 अधिनियम का प्रबल प्रभाव होगा:- इस अधिनियम के प्रावधान, उस समय लागू किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन में कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

26. एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) निम्नलिखित अधिनियमों को निरस्त करती है:

(i) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995

(ii) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997

27. धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत उपरोक्त दो अधिनियमों को स्पष्ट रूप से निरस्त करने के अलावा, एन.जी.टी. अधिनियम में धारा 38 की उप-धारा (8) में एक प्रावधान भी शामिल है जो निहित निरसन से संबंधित है। धारा 38 की उप-धारा (8) इस प्रकार है:

"(8) उप धारा (2) से (7) में निर्दिष्ट विशेष मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में सामान्य धारा अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभाव नहीं डालेगा।

28. जहां तक एन.जी.टी. के आदेशों के क्रियान्वयन का सवाल है, धारा 25 दो प्रकार की शक्तियां प्रदान करती है जैसा कि नीचे बताया गया है:

(क) पुरस्कार को स्वयं निष्पादित करने की शक्ति, जैसे कि पुरस्कार एक सिविल न्यायालय की डिक्री है और

(ख) पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए सिविल न्यायालय को प्रेषित करने की शक्ति।

29. जैसा कि पहले कहा गया है, एन. जी. टी. के निर्णय का पालन करने में किसी भी व्यक्ति की विफलता को भी धारा 26 के तहत दंडनीय बनाया गया है, जिसमें तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या दस करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। धारा 27 प्रत्येक कंपनी और कंपनी के मामलों के सीधे प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति को अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाती है। धारा 28 सरकारी विभागों पर भी मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी बनाती है। पारिस्थितिकी प्राधिकरण के नुकसान के लिए ऐसी शक्तियां उपलब्ध नहीं हैं।

30. हालांकि धारा 26 की उपधारा (2) एजीटी अधिनियम के तहत ज्ञात अपराधों को संज्ञेय बनाती है, धारा 30(1)(बी) किसी भी व्यक्ति को इसका अधिकार देती है जिसने सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए कथित अपराधों और मुकदमा चलाने के अपने इरादे के बारे में निर्धारित तरीके से कम से कम साठ दिन का नोटिस दिया हो। दिलचस्प बात यह है कि धारा 30(1)(बी) में "पीड़ित व्यक्ति" अभिव्यक्ति का भी उपयोग नहीं किया गया है। यह केवल "किसी भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

31. 2003 में प्रस्तुत विधि आयोग की 186वीं रिपोर्ट डी ने अंततः एन. जी. टी. अधिनियम के अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया। इसे एन. जी. टी. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के प्रासंगिक भाग से देखा जा सकता है जो निम्नानुसार है:

"4. राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 को किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालते समय होने वाली किसी भी दुर्घटना से

होने वाले नुकसान के लिए सख्त दायित्व प्रदान करने और व्यक्तियों, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देने की दृष्टि से ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। हालांकि, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण, जिसके पास बहुत सीमित जनादेश था, की स्थापना नहीं की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 को उन क्षेत्रों के प्रतिबंधों के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था जिसमें कोई भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का वर्ग, संचालन या प्रक्रियाएं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं की जाएंगी या की जाएंगी। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के पास अपने अधिकार क्षेत्र के संकीर्ण दायरे के कारण सीमित कार्यभार है।

5. उच्च न्यायालयों में लंबित पर्यावरण मामलों की बड़ी संख्या और ऐसे मामलों में बहु-विषयक मुद्दों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग से विशेष पर्यावरण न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर विचार करने का अनुरोध किया। उसी के अनुसरण में, विधि आयोग ने पर्यावरण कानूनों से संबंधित मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार वाले पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की है।

6. उपरोक्त अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण संबंधी मामलों में शामिल बहु-विषयक मुद्दों को संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित सिविल मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए एक कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

32. विधि आयोग की 186वीं रिपोर्ट और अधिनियम की मुख्य विशेषताओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

(1) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन इस न्यायालय द्वारा कम से कम चार मामलों में बार-बार जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में किया गया था, जिनमें एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ [(1986) 2 एस.सी.सी. 176], इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो लीगल एक्शन

बनाम भारत संघ [(1996) 3 एस.सी.सी. 212], ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम.वी. नायडू [(1999) 2 एस.सी.सी. 718], ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम.वी. नायडू [(2001) 2 एस.सी.सी. 62] शामिल हैं।

(2) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्माण का उद्देश्य पर्यावरण मंजूरी, पर्यावरण से संबंधित विवादों का समाधान, प्रदूषण और पर्यावरण क्षति के पीड़ितों के लिए राहत और मुआवजे, संपत्ति की बहाली, पर्यावरण की बहाली आदि जैसे सभी प्रकार के मुद्दों के लिए वन-स्टॉप-शॉप समाधान प्रदान करना था।

(3) न्यायाधिकरण के पास मूल और अपीलीय दोनों अधिकार क्षेत्र होने थे, जिसमें न केवल सिविल न्यायालयों के फरमानों के रूप में अपने आदेशों को निष्पादित करने के लिए, बल्कि उन लोगों को दंडित करने के लिए भी भारी शक्तियां शामिल थीं जो इसके आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं।

(4) न्यायाधिकरण को एक न्यायालय शुल्क एकत्र करना था और सीमा की अवधि के अंदर पसंदीदा दावों पर विचार करना था।

33. एन.जी.टी. अधिनियम के तहत, अधिनियम 1986 में भी संशोधन किया गया था। एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 36 द्वारा अधिनियम 1986 में धारा 5 क जोड़ी गई थी। इस धारा के तहत, केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के तहत किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध या विनियमन के लिए या बिजली या पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमन के लिए जारी किए गए किसी भी निर्देश को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील योग्य बनाया गया था।

34. अधिनियम 1986 की धारा 5ए का कानूनी प्रभाव, यदि धारा 3(3) के साथ सहपठित धारा 5 में मिलाया जाए तो यह होगा:

(1) कि केंद्र सरकार धारा 5 के तहत कुछ निर्देश जारी करने में सक्षम है;

(2) कि धारा 5 के तहत शक्ति का प्रयोग धारा 3 (3) के तहत गठित प्राधिकरण द्वारा भी किया जा सकता है; और

(3) कि धारा 5 के तहत या तो केंद्र सरकार द्वारा या धारा 3 (3) के तहत गठित प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं।

35. अब हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या एन.जी.टी. के पास सी.पी.सी.बी./उसके प्रतिनिधियों को ऐसे सभी उपाय करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है यदि किसी दिए गए मामले में एन.जी.टी. को लगता है कि न्यायाधीश के हित में ऐसे निर्देश आवश्यक हैं।

36. अधिनियम 1986 की धारा 3, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से अधिकार देती है कि वह "पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें जो वह आवश्यक या समीचीन समझे....."। धारा 5 केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि को अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 2(क) में "पर्यावरण" की विस्तृत परिभाषा के साथ पढ़ें, धारा 3 और 5 केंद्र सरकार को ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करती हैं जो "पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन" हैं। केंद्र सरकार को उपरोक्त उद्देश्य के लिए सभी उपाय करने और ऐसे सभी निर्देश जारी करने का अधिकार है।

37. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 (संक्षेप में, 'एन.जी.टी. नियम') बनाए हैं। हमारे उद्देश्य के लिए, नियम 24 महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है:

"नियम 24. कुछ मामलों में आदेश और निर्देश- न्यायाधिकरण अपने आदेश को प्रभावी बनाने या अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे आदेश या ऐसे निर्देश दे सकता है जो आवश्यक या समीचीन हों।

38. उपरोक्त नियम 24 **ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अंकिता सिन्हा, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 897** मामले में इस न्यायालय के विचार के लिए नजर में आया। हम राष्ट्रीय हरित

न्यायाधिकरण की शक्तियों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **अंकिता सिन्हा** (पूर्वोक्त) में की गई कुछ प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करते हैं:

"16.3 उक्त नियमों से यह स्पष्ट होता है कि एन.जी.टी. को न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। यह शक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और उससे जुड़े मामलों को संरक्षित करना है।

16.4 व्यापक महत्व के एक वाक्यांश को नियोजित करने का विकल्प चुनकर, यानी न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, विधायिका एक उदार व्याख्या की ओर बढ़ी है। न्याय सुनिश्चित करना व्यापक आयाम का एक शब्द है और इसका मतलब केवल दो प्रतिद्वंद्वी संस्थाओं के बीच विवादों का निर्णय लेना नहीं है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणीय अधिकारों के मुद्दों को आगे बढ़ाना, आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा देना, पर्यावरणीय सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए योजनाएं बनाना और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर निष्क्रियता के लिए अधिकारियों की आलोचना करना भी शामिल है।

16.5 इसके अलावा, सिविल न्यायालयों के विपरीत जो पक्षों द्वारा मांगी गई राहत से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एन.जी.टी. को किसी भी राहत को ढालने की शक्ति प्रदान की जाती है। प्रावधानों से पता चलता है कि एन.जी.टी. के पास उचित राहत देने की व्यापक शक्ति है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित हो सकती है, भले ही इस तरह की राहत के लिए पक्षों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया गया हो।

21.6... उपरोक्त से पता चलता है कि शुरुआत से ही, एन.जी.टी. की भूमिका केवल लिस की प्रकृति में न्यायिक निर्णय लेने की नहीं थी, बल्कि समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की थी जो 17 (1999) 2 एससीसी 718 प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक हैं। एन.जी.टी. की कार्यात्मक क्षमता का उद्देश्य अपने पर्यावरणीय अधिदेश में पूर्ण न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियों का लाभ उठाना था।

IX. आत्म-सक्रिय क्षमता के साथ प्राधिकरण

25.1 एन.जी.टी. के लिए परिकल्पित विविध भूमिका और वैधानिक प्रावधानों को दी जाने वाली उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को देखते हुए, एन.जी.टी. को अपने डोमेन के भीतर सभी आवश्यक कार्यों को गति देने के लिए तंत्र के रूप में मानना उचित होगा और यह, जैसा कि नीचे दी गई चर्चा से पता चलता है, इसे अनिवार्य रूप से अपने अधिदेश के प्रभावी निर्वहन के लिए मामलों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देना चाहिए।

25.7 अनुच्छेद 21 के अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य व्याख्या की संकीर्ण दिशा पर नहीं टिक सकता है। प्रक्रियात्मक प्रावधानों को व्यापक सार्वजनिक हित में पर्यावरण क्षेत्र में लागू किए गए मूल अधिकारों के अनुरूप होने की अनुमति दी जानी चाहिए। विशेष मंच को पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अपने क्षेत्र में प्रभावी होने के लिए, हमें एन. जी. टी. को एक स्वच्छ पर्यावरण के मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई शुरू करने के लिए एक सार्वजनिक जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है और प्रक्रियात्मक कानून इसके अनुप्रयोग में अवरोधक नहीं होना चाहिए।

26.3 जैसा कि पहले देखा गया है, एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 20, जिसमें "आदेश" और "अधिनिर्णय" के अलावा "निर्णय" शब्द शामिल है, में भी न्यायाधिकरण से 'एहतियाती सिद्धांत' को लागू करने की आवश्यकता होती है और प्रासंगिक होने के कारण वैधानिक अधिदेश निकाला जाता है:

"20. कुछ सिद्धांतों को लागू करने के लिए न्यायाधिकरण

-न्यायाधिकरण, कोई भी आदेश या निर्णय या अधिनिर्णय पारित करते समय, सतत विकास के सिद्धांतों, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करेगा।

26.4 उपरोक्त निर्धारित सिद्धांत को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आयाम में लागू होना चाहिए कि इसका उपयोग न केवल न्यायिक उद्देश्यों के लिए किया जाए, बल्कि सरकारी अधिकारियों या प्रदूषकों को अन्य 'निर्णयों' या 'आदेशों' के लिए भी किया जाए, जब वे 'पर्यावरणीय क्षरण के कारणों का अनुमान लगाने, रोकने और उन पर हमला करने' में विफल रहते हैं। इसलिए दो पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए अर्थात् न्यायाधिकरण को स्वयं निवारक और सुरक्षात्मक उपाय करने के साथ-साथ पर्यावरणीय हितों को बनाए रखने में

विफल रहने के लिए सरकारी और निजी प्राधिकरणों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है। इस प्रकार, एन. जी. टी. की शक्तियों के लिए एक संकीर्ण व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो पर्यावरण क्षेत्र के अंदर मंच की शक्ति के पूर्ण प्रवाह की अनुमति देता है।

स्थापित करने की सहमति और संचालन करने की सहमति:

39. "स्थापित करने की सहमति"(सी.टी.ई.) क्या है और "संचालन करने की सहमति"(सी.टी.ओ.) क्या है? स्थापना के लिए सहमति (सी.टी.ई.) का अर्थ है किसी भी स्थान पर पेट्रोल खुदरा दुकान के निर्माण का काम शुरू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति। इस स्तर पर, प्रस्तावित स्थल में भूजल बी स्तर, भूजल की प्रकृति, इसके संक्षारक गुण, आवासीय परिसरों की उपलब्धता, स्कूल, प्रस्तावित निकास से पर्यावरण के लिए संभावित खतरे आदि पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। यदि इसे स्थापित करने के लिए सहमति दी जाती है, तो वायु वातावरण और भूजल की गुणवत्ता और मिट्टी की सुरक्षा के लिए अनुपालन की जाने वाली शर्तों को आदेश किया जाएगा। इस संबंध में शक्ति जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत उपलब्ध है।

40. संचालन के लिए सहमति (सी.टी.ओ.) का अर्थ है खुदरा पेट्रोलियम दुकानों की स्थापना के बाद, संचालन शुरू करने की अनुमति देने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस स्तर पर, "स्थापित करने की सहमति" जारी करते समय लगाई गई शर्तों के वास्तविक अनुपालन का पता लगाया जाता है। यदि किसी भी अतिरिक्त उपाय की आवश्यकता होती है, तो आगे के आदेश जारी किए जाएंगे। पर्यावरण की पूर्ण सुरक्षा के बारे में संतुष्ट होने के बाद ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। एक नए आउटलेट के मामले में, कंपनी को पहले स्थापित करने के लिए सहमति मिलेगी और स्थापना के बाद और पेट्रोल बैंक को संचालित करने से पहले, संचालन के लिए सहमति प्राप्त करनी होगी। मौजूदा दुकानों में, उनकी इकाइयों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों को दिखाना होगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संकेत और आश्वासन मिलेगा कि इकाई

पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस तरह की संतुष्टि के बाद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन्हें लगातार काम करने की अनुमति देने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। अंतिम दिशा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मौजूदा आउटलेट न केवल वायु प्रदूषण के संबंध में सुरक्षित हैं, बल्कि भूजल और मिट्टी में रिसाव से भी सुरक्षित हैं। एन.जी.टी. के पास यह निर्देश जारी करने की अंतर्निहित शक्ति है क्योंकि यह केवल मौजूदा इकाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।

41. सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करने के लिए आवश्यक मौलिक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

स्थापना के लिए सहमति:

- उत्पादन इकाई/परियोजना की स्थल योजना
- संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट जिसमें कच्चे माल, प्रस्तावित उत्पाद, स्थापना की पूंजी लागत (भूमि और संयंत्र मशीनरी), जल-संतुलन, जल स्रोत और इसकी प्रस्तावित मात्रा का विवरण शामिल है।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण/जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण
- एम.ओ.ए./साझेदारी विलेख

संचालन के लिए सहमति:

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अंतिम सहमति की प्रति
- विनिर्माण प्रक्रियाओं के विवरण को प्रकट करने वाली लेआउट योजनाएं
- अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, ईंधन गैसों और खतरनाक अपशिष्ट की नवीनतम विश्लेषण रिपोर्ट।
- सीए द्वारा सत्यापित तुलन पत्र की प्रति
- रिसाव के लिए भूमि पर व्यापारिक अपशिष्ट छोड़े जाने की स्थिति में भूमि से संबंधित विवरण

- क्षेत्र विकास परियोजनाओं/भवन और निर्माण परियोजनाओं के मामले में नगर और देश योजना विभाग द्वारा दिया गया व्यवसाय पंजीकरण

- एम.ओ.ए./साझेदारी विलेख

42. नए पेट्रोलियम पंप स्थापित करने के लिए सी.पी.सी.बी. द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.01.2020 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों को इस निर्णय में शामिल करना उचित होगा। दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

" नए पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश

क. पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने के कार्यों से रिसाव की रोकथाम और उपचार:

1. उच्च भूजल तालिका यानी 04 मीटर से कम भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों को दोहरी दीवारों वाले टैंकों या कंक्रीट सुरक्षा दीवारों के माध्यम से द्वितीयक रोकथाम करनी होगी ताकि भूजल और मिट्टी के प्रदूषण को कम किया जा सके। यह ओएमसी की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रस्तावित पेट्रोल पंप स्थल पर भूजल स्तर को ठीक से मापे और ऐसी साइटों के लिए इन पर्याप्त सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें। तेल विपणन कंपनी द्वारा किए गए उपायों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा और विरोधाभासी दृष्टिकोण के मामले में, राज्य/केंद्रीय भूजल बोर्ड/प्राधिकरण का दृष्टिकोण प्रबल होगा।
2. सभी नए खुदरा दुकानों में भूमिगत टैंक/बी ग्राउंड टैंक के ऊपर और इसके सहायक घटक जैसे पाइप, लचीले कनेक्टर, पंप फिटिंग आदि (सामग्री (एच.डी.पी.ई./ माइल्ड स्टील आदि) को अपनाकर जंग के कारण रिसाव से संरक्षित) आवश्यक सुरक्षात्मक परत के साथ, जैसा भी लागू हो, पी.ई.एस.ओ. द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।
3. पेट्रोल, डीजल, ल्यूब ऑयल (बैरल-165 लीटर से अधिक) का कोई भी बड़ा रिसाव/रिसाव ईंधन स्टेशन पर होता है, संबंधित ओएमसी घटना के 24 घंटे के अंदर सी.पी.सी. बी. को सूचित करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पी.ई.एस.ओ. और जिला प्रशासन को रिपोर्ट करेगा।

संबंधित भूमिगत भंडारण टैंक (यू.एस.टी.) और इसके सहायक घटकों का संचालन तुरंत बंद कर दिया जाएगा और जब तक पी.ई.एस.ओ. और संबंधित एस.पी.सी.बी. की संतुष्टि के लिए रिसाव/रिसाव को रोकने और सुधारात्मक उपायों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक इसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकेगा।

ओ.एम.सी. को पर्यावरणीय मुआवजे (एस.पी.सी.बी./ पी.सी.सी. द्वारा लगाए गए) और पर्यावरणीय क्षति के आकलन (मिट्टी और भूजल में संदूषण की सीमा के आधार पर) और स्थल सुधार के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ओ.एम.सी. द्वारा क्षति के आकलन और स्थल सुधार के लिए नियुक्त सलाहकार/विशेषज्ञ एजेंसी के पास इस क्षेत्र में न्यूनतम 5 साल का राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अनुभव होगा। भूमिगत दूषित पदार्थों की सफाई के लिए विभिन्न स्वीकृत तरीकों पर विचार किया जाएगा।

4. सभी डी.यू. में ऑटो कट ऑफ नोजल होंगे जो ग्राहक ईंधन टैंक में ईंधन का स्तर पूरी क्षमता तक पहुंचने पर ईंधन के वितरण को बंद कर देते हैं।
5. ग्राहक वाहनों के ईंधन भरने की स्थिति में नोजल के साथ दूर जाने की स्थिति में रिसाव को कम करने के लिए वितरण इकाइयों की सभी नली के लिए ब्रेकवे स्थापित किए जाएंगे।
6. ईंधन भरने के दौरान नोजल की बेहतर स्थिति के लिए ब्रेकअवे कपलिंग के साथ सिंगल/डबल प्लेन स्विवेल सभी वितरण इकाइयों हेतु स्थापित किया जाएगा।
7. दबावयुक्त डिस्पेंसेशन में, सभी वितरण इकाइयों को कतरनी वाल्वों के साथ स्थापित किया जाएगा ताकि वितरण इकाइयों के अपनी स्थिति से आकस्मिक रूप से दबाव बनाने पर पाइप लाइन से ईंधन प्रवाह को तुरंत रोका जा सके।
8. दबावयुक्त प्रणाली में सभी सबमर्सिबल टर्बाइन पंप (एसटीपी) को लाइन रिसाव डिटेक्टरों के साथ स्थापित किया जाना चाहिए और पाइप लाइन लीक की स्थिति में एसटीपी भूमिगत टैंकों से ईंधन पंप करना बंद कर देंगे।

9. आपातकालीन स्थिति में वितरण को रोकने के लिए मल्टी प्रोडक्ट डिस्पेंसर (एम.पी.डी.) पर आपातकालीन स्टॉप बटन स्विच प्रदान किया जाएगा।
 10. पी.ई.एस.ओ. द्वारा अनुमोदित स्वतः मापन प्रणाली के माध्यम से टैंक रिसाव के मामले में सतर्क करने के लिए सभी नए खुदरा दुकानों पर स्वचालन प्रणाली स्थापित की जाएगी।
 11. सभी खुदरा आउटलेट स्वचालन द्वारा से ओवरफिल अलार्म प्रदान करेंगे।
 12. पी.ई.एस.ओ. द्वारा निर्धारित फिल प्वाइंट चैंबर और फोरकोर्ट क्षेत्र में रिसाव को रोकने के उपायों को लागू किया जाएगा।
- ख. भूमिगत भंडारण टैंकों से रिसाव (रिसाव पहचान प्रणाली) की जांच करें ताकि भूजल और मिट्टी के संदूषण को रोका जा सके:
1. सभी नए खुदरा दुकानों में स्वचालन प्रणाली स्थापित होगी जो दैनिक संचालन के बाद मात्रा संतुलन पर रिपोर्ट प्रदान करेगी और इसका रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।
 2. मैनुअल गेजिंग महीने में एक बार की जाएगी और सटीकता के लिए स्वचालित टैंक गेजिंग के साथ इसकी तुलना की जाएगी।
 3. दैनिक एमएस और एचएसडी हानि एमओपीएनजी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। ऐसी सीमा से अधिक रिसाव के मामले में, ओ.एम.सी. द्वारा मामले का विश्लेषण किया जाएगा और नुकसान के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिट्टी/भूजल संदूषण के परिणामस्वरूप रिसाव के मामले में:
- क. संबंधित ओ. एम. सी. घटना के 24 घंटे के अंदर सी.पी.सी.बी. को सूचित करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पी.ई.एस.ओ. और जिला प्रशासन को रिपोर्ट करेगी। इस तरह के भूमिगत भंडारण टैंक (यूएस.टी.) और इसके सहायक घटकों का संचालन तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
- ख. पर्यावरण में आगे निकलने से रोकने के लिए भूमिगत भंडारण बी टैंक से ईंधन को तुरंत हटा दिया जाएगा। पी. ई. एस. ओ. द्वारा अनुशंसित रिसाव के कारण निकलने वाले वाष्पों के

कारण होने वाले विस्फोट को रोकने के उपायों को तुरंत लागू किया जाएगा।

- ग. ओ.एम.सी. को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सी (एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. एस. द्वारा लगाया गया) और पर्यावरणीय क्षति के आकलन (मिट्टी और भूजल में संदूषण की सीमा के आधार पर) और स्थल सुधार के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ओ.एम.सी. द्वारा क्षति के आकलन और स्थल सुधार के लिए नियुक्त सलाहकार/विशेषज्ञ एजेंसी के पास इस क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्षों का राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अनुभव होगा। भूमिगत दूषित पदार्थों की सफाई के लिए विभिन्न स्वीकृत तरीकों पर विचार किया जाएगा।
- घ. भूमिगत टैंकी और उसके सहायक घटकों का संचालन तब तक फिर से शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि पी.ई.एस.ओ. और संबंधित एस.पी.सी.बी. की संतुष्टि के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू नहीं किया जाता है।
4. सभी भूमिगत टैंकों और पाइपलाइनों का हर 7 साल में रिसाव के लिए परीक्षण किया जाएगा।
- ग. सफाई के दौरान भूमिगत टैंकों से हटाए गए कीचड़ के उपचार और निपटान के लिए नीति:
- घ. वाष्प पुनर्प्राप्ति प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव:**
1. 300 किलोलीटर प्रति माह की बिक्री क्षमता वाले सभी नए खुदरा दुकानों और प्रति लाख 1 से अधिक जी. एम. एस. की आबादी वाले शहरों में स्थापित किए जाने वाले सभी नए खुदरा दुकानों को वाई. आर. एस. प्रदान किया जाएगा। एम. एस. टच 300 के. एल. की बिक्री के समय तक वाई. आर. एस. कार्यात्मक होना चाहिए। वी. आर. एस. की स्थापना में विफलता के मामले में, एस. पी. सी. बी./पी. सी. सी. द्वारा पर्यावरण मुआवजा 238 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर. की लागत के बराबर लगाया जाएगा। वी. आर. एस. और यह गैर-अनुपालन की अवधि के अनुपात में और बढ़ेगा।
 2. 10 लाख से अधिक आबादी वाले और प्रति माह 100 के. एल. एम. एस. की बिक्री क्षमता वाले शहरों में स्थापित किसी भी नए

खुदरा दुकान को वाई. आर. एस. प्रदान किया जाएगा। एम. एस. टच 100 के. एल. की बिक्री के दिन से 3 महीने की अवधि के अंदर वाई. आर. एस. स्थापित किया जाना चाहिए। वी. आर. एस. की स्थापना में विफलता के मामले में, एस. पी. सी. बी./पी. सी. सी. द्वारा वी. आर. एस. की लागत के बराबर पर्यावरण मुआवजा लगाया जाएगा और यह गैर-अनुपालन की अवधि के अनुपात में और बढ़ेगा।

3. स्टेज II वी. आर. एस. के मामले में, नोजल को लचीले कवर फ्लैप या अन्य वैकल्पिक प्रणाली के साथ प्रदान किया जाएगा ताकि भरने वाले टैंक को उचित रूप से ढका जा सके और इसलिए वाष्पों की उचित वसूली हो सके।
4. ओ. एम. सी. स्थापित वी. आर. एस. के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें कानूनी माप विज्ञान द्वारा निर्धारित ए. जे. एल. नियामक के लिए समय-समय पर निरीक्षण बनाए रखना होता है। उचित अभिलेख रखा जाएगा,
5. डिस्पेंसर के काम को वी. आर. एस. के काम से मिलाया जाएगा। वी. आर. एस. के संचालन की स्थिति की निगरानी के लिए 6 महीने के अंदर ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी। वाई. आर. एस. के काम न करने के मामले में, इसकी सूचना स्वतः संबंधित ओ. एम. सी. को दी जाएगी। वाई. आर. एस. को 24 घंटे के अंदर तुरंत लागू किया जाएगा और किसी भी मामले में 72 घंटे के अंदर ऐसा न करने पर ईंधन स्टेशन से एम. एस. की बिक्री रोक दी जाएगी। वाई. आर. एस. के संचालन का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।
6. ओ. एस. एच. ए. मानदंडों (समय-भारित औसत) के अनुपालन की जांच करने के लिए वर्ष में एक बार ई. पी. अधिनियम, 1986 द्वारा 300 के. एल. प्रति माह से अधिक और आई. ओ. लाख से अधिक आबादी (पहले चरण में) बेचने वाले पेट्रोल पंपों के लिए ओ. एम. सी. द्वारा कुल वी. ओ. सी. और बेंजीन के लिए कार्य क्षेत्र की निगरानी की जाएगी और एस. पी. सी. बी. को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, वीओसी की ऑनलाइन निगरानी के लिए विशेषज्ञ संस्थानों के माध्यम से ओएमसी द्वारा पायलट अध्ययन आयोजित किया जाएगा।

- ड. प्रति माह 300 किलोलीटर से अधिक की बिक्री करने वाले और 10 लाख से अधिक आबादी वाले पेट्रोल पंपों के अंदर भूजल और मिट्टी की गुणवत्ता की निगरानी ई (पी) अधिनियम, 1986 के माध्यम से निकटतम स्रोत से निम्नलिखित मापदंडों के लिए अनुमोदित प्रयोगशालाओं के माध्यम से ओएमसी द्वारा दो साल में एक बार की जाएगी और इसकी रिपोर्ट एसपीसीबी को सौंपी गई:

अनुमेय सीमा

अनुमानक सं.	मापदंड	अनुमेय सीमा
1.	कुल पेट्रोलियम हुड्रोकार्बन	600 पी.जी./आई.
2.	बीटीईएक्स	i. बेंजीन-950पी.जी./आई. ii. टोल्यूनि-300 पी.जी./आई. iii. ज़ाइलेन्स क) ओ-ज़ाइलीन-350 पी. जी./आई. ख) एम एंड पी-ज़ाइलीन-200 पी. जी./आई
3.	इथेनॉल	1400 पी. जी./आई
4.	मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर	13 पी. जी./आई.
5.	पीएएच	0.000 पी. जी./आई.

एसपीसीबी सहित प्रवर्तन एजेंसियां संदूषण की जांच के लिए पेट्रोल पंप और उसके आसपास नमूने एकत्र कर सकती हैं।

च. श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपाय

1. खुदरा दुकानों में लगे सभी श्रमिकों को ई. एस. आई. के तहत शामिल किया जा सकता है, ओ. एम. सी. डीलर श्रम कानूनों के अनुरूप व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी. पी. ई.) लागू करेंगे।

2. श्रमिकों को वीओसी उत्सर्जन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए ओएमसी डीलरों द्वारा नियमित अंतराल पर श्रमिकों के लिए आईईसी (सूचना शिक्षा संचार) गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए।

छ. सभी सुरक्षा उपायों की लेखा परीक्षा और पेट्रोल पंपों पर लागू प्रणाली की निगरानी की जा सके:

पीईएसओ वार्षिक आधार पर पाइप, ओवरफिल सुरक्षा उपकरण और अलार्म सिस्टम सहित टैंकों और ईंधन उपकरणों का ऑडिट करेगा और रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

ज. खुदरा दुकानों के लिए साइटिंग मानदंड:

पेट्रोल पंपों के लिए बैठने के मानदंड के मामले में नए खुदरा आउटलेट स्कूलों, अस्पतालों (10 बिस्तर और उससे अधिक) से 50 मीटर (भराव बिंदु/वितरण इकाइयों/वेंट पाइप से जो भी निकटतम हो) की रेडियल दूरी के अंदर स्थित नहीं होंगे और स्थानीय कानूनों के अनुसार नामित आवासीय क्षेत्र। 50 मीटर की दूरी प्रदान करने में बाधाओं के मामले में, खुदरा दुकान पी.ई.एस.ओ. द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करेगा। किसी भी मामले में स्कूलों, अस्पतालों (10 बिस्तर और उससे अधिक) और स्थानीय कानूनों के अनुसार निर्दिष्ट आवासीय क्षेत्र से नए खुदरा आउटलेट के बीच की दूरी 30 मीटर से कम नहीं होगी। खुदरा दुकान के ऊपर से कोई उच्च तनाव रेखा नहीं गुजरेगी।

43. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में स्थित किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना और संचालन दोनों पर प्रतिबंध लगाती है। इस प्रावधान के पीछे विधायी मंशा दो अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी - एक, औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सहमति जबकि दूसरा, उस संयंत्र के संचालन के लिए है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी इकाई या औद्योगिक संयंत्र को संचालन के लिए सहमति दी जाती है, तो इकाई को स्थापना के लिए सहमति के क्रम में बताई गई सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए और अपेक्षित अपशिष्ट उपचार संयंत्र और अन्य स्थापित करना चाहिए। प्रदूषण रोधी उपकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे कोई प्रदूषण न हो।

44. हमारी उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि एन.जी.टी. उन निर्देशों को जारी करने के लिए अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के अंदर था जो हमारे सामने विवादित हैं। हालाँकि, हम इस सवाल पर ध्यान देना चाहेंगे कि क्या विवादित निर्देश उचित हैं और क्या वे अनावश्यक उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं और खुदरा दुकानों को भारी कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं?

45. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि हमसे पहले सभी अपीलार्थी ने अपनी साइटों और खुदरा दुकानों पर वी.आर.एस. और वी.आर.डी. स्थापित किए हैं। हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 (मूल आवेदक) ने एन.जी.टी., चेन्नई के समक्ष सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. को अनिवार्य बनाने के लिए अनुरोध नहीं किया था। 2020 (द.अं.) के मू.आ. सं. 138 में प्रार्थना केवल तमिलनाडु राज्य तक ही सीमित थी। हालाँकि, एन.जी.टी., चेन्नई ने अपने विवादित आदेश द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सभी पेट्रोलियम आर.ओ. को वी.आर.एस. तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है जिसका कारोबार 300 कि.ली./महीने से अधिक है। हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि सी.पी.सी.बी. ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से समय-समय पर वी.आर.एस. (जिसे वाष्प पुनर्प्राप्ति उपकरण परिपत्र के रूप में भी जाना जाता है) की स्थापना के लिए परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए हैं। हम स्थापना के संबंध में एन.जी.टी., चेन्नई द्वारा जारी किए गए विवादित निर्देशों को बाधित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। वी. आर. एस. सी. पी. सी. बी. यह सुनिश्चित करेगा कि इन निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए और उनका पालन किया जाए।

46. हमारे लिए यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सी.पी.सी.बी. द्वारा दिनांक 30.04.2020 और 07.03.2016 उत्तर में जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों में वाहन ईंधन दुकानों को "हरित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें सहमति प्रबंधन से छूट दी जा सकती है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि यह उचित विचार और विचार-विमर्श के बाद ही है कि सी.पी.सी.बी. ने उक्त निर्देश जारी किए हैं। एन.जी.टी. ने स्वयं अपने विवादित आदेश के अनुच्छेद 66 में

उल्लेख किया है कि तेल उद्योग को "हरित श्रेणी" के रूप में चिह्नित किया गया है और सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. की आवश्यकता नहीं थी। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एन. जी. टी. की ओर से यह आशंका कि वी. आर. एस. की स्थापना की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा सख्ती से निगरानी नहीं की जा सकती है, सी.एन.जी.टी. ने सी.पी.सी.बी. और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को एक परिपत्र जारी करने के लिए निर्देश जारी किए, जिसमें नए पेट्रोलियम आउटलेट स्थापित करने के लिए एक शर्त के रूप में सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। हमारे सामने जो तर्क दिया गया है और अभिलेख पर सामग्री के आधार पर भी, हम आश्वस्त हैं कि डी.सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। हम सी.पी.सी.बी. पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालना चाहते हैं कि उसके ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए और एक बार दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के बाद, आरओ को शुरू/संचालित करने के लिए सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करने के लिए कोई निर्देश आवश्यक नहीं है। हम संबंधित अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से सहमत हैं कि मौजूदा आरओ से सी.टी.ओ. प्राप्त करने के लिए कहना बहुत ही अनुचित है और इससे विभिन्न कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। यहां तक कि भविष्य में आने वाले आरओ को सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. प्राप्त करने का निर्देश देना भी बोझिल और समय लेने वाला होगा और इसलिए हमें यह उचित नहीं लगता है।

47. ऐसी परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास सी. पी. सी. बी. को यह निर्देश देने की शक्ति है कि उसे पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, हम एनजीटी, चेन्नई द्वारा जारी किए गए विवादित निर्देशों को संशोधित करने के लिए इच्छुक हैं, जैसा कि आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 69 (iii) और 69 (iv) जवाब में निहित है।

48. उपरोक्त के मद्देनजर, हम 2022 की सिविल अपील संख्या 2039 का निम्नलिखित शर्तों में निपटान करते हैं:

(क) सी. पी. सी. बी. यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न शहरों में स्थित 10 लाख से अधिक की आबादी वाले और 300 कि. मी. /माह से अधिक के टर्नओवर वाले सभी खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट स्थापित करेंगे। नई समयसीमा के अंदर वी. आर.एस. तंत्र जैसा कि इसके परिपत्र दिनांक 04.06.2021 में निर्धारित किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सी.पी.सी.बी. यह सुनिश्चित करेगा कि विवादित आदेश के अनुच्छेद 69 (i) और (ii) में निहित एन. जी. टी. द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। यह सुनिश्चित करना सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कानूनी दायित्व होगा कि वी. आर. एस. तंत्र की स्थापना के संबंध में एन. जी. टी. द्वारा जारी निर्देशों का सी. पी. सी. बी. द्वारा निर्धारित नई समय सीमा के अंदर पालन किया जाए।

(ख) हम अनुच्छेद 69 (iii) और (iv) में निहित विवादित आदेश में एन.जी.टी. द्वारा जारी निर्देशों को दरकिनार करते हैं। इसके बजाय, हम सी. पी. सी. बी. को निर्देश देते हैं कि वह सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे कि उसके द्वारा दिनांकित कार्यालय ज्ञापन 07.01.2020 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। यदि सी.पी.सी.बी. द्वारा दिनांकित कार्यालय ज्ञापन 07.01.2020 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों में से किसी का भंग होता है, तो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द से जल्द कानून के अनुसार दोषी आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

49. संबंधित अपीलों का निपटारा भी उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

50. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

51. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

अंकित ज्ञान
(सहायक: आदित्यरज पटोडिया
और महेंद्र यादव, एलसीआरए)

याचिका का निपटान किया गया

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.